

**कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या.
जिला-नीमच (म.प्र.)**

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

**आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। आवेदक बी.पी.एल.
राशनकार्ड धारी होना चाहिये।**

**व्यवसाय हेतु परियोजना लागत रुपये 20,000/- एवं मार्जिन मनी अनुदान
परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 10,000/- देय है।**

**संलग्न दस्तावेज :- बी.पी.एल.राशन कार्ड छायाप्रति, जाति
प्रमाण-पत्र, स्थाई मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड
छाया प्रति, वोटर आई डी कार्ड छायाप्रति, दो फोटो।**